

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :- 79/2021 (धारा 76 भू राज0भूअधि0 1956) (RCMS No.2021/88)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. ज्ञानसिंह पुत्र स्व० श्री रघुनाथ | } जाति जाट निवासी ग्राम हन्तरा
तहसील नदबई जिला भरतपुर। |
| 2. हरीबल्लभ पुत्र स्व० श्री रघुनाथ | |
| 3. भगवती पत्नी स्व० श्री रघुनाथ | |

.....अपीलान्त

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र स्व० रघुनाथ जाति जाट निवासी ग्राम हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..... रैस्पोजेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरुद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 5.8.2021 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 20.11.2014 ग्राम हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

उपरिस्थिति:-

1. श्री कृष्ण कुमार सिंघल वकील अपीलान्तस।
2. श्री महाराज सिंह वकील रैस्पोजेन्ट।

निर्णय

दिनांक:-31.7.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 5.8.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि खातेदार स्व० रघुनाथ सिंह की मृत्योपरान्त उसके विरासतन नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 20.11.2014 गाम पंचायत हन्तरा तहसील नदबई द्वारा रघुनाथसिंह की विरासत के आधार पर तुलसीराम, ज्ञानसिंह, हरबल्लभ व भगवती के हक में स्वीकृत किया गया जिसमें सजरा के अनुसार रघुनाथसिंह के वारिस तुलसीराम, ज्ञानसिंह, हरिवल्लभ (पुत्रगण), भगवती (वेवा), सौमोती (वेवा फौत) दर्शाया हुआ है। रैस्पोजेन्ट तुलसीराम पुत्र रघुनाथ के द्वारा यह उजदारी करते हुये कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध नामान्तरकरण तस्दीक किया है क्योंकि अपीलान्त संख्या 3 भगवती मेरे पिता रघुनाथसिंह की जायज पत्नी नहीं है और ना अपीलान्त संख्या 1 व 2 रघुनाथसिंह की विधिक सन्ताने है। ग्राम पंचायत हन्तरा के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 20.11.2014 के खिलाफ तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील पेश की गई। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.8.2021 पारित करते हुये अपील अपीलान्त आशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 20.11.2014 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार नदबई को



48
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर


रिमाण्ड किया गया कि वे दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सबूतों का अवसर देते हुये विधिवत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नामान्तरकरण निर्णित करें। जिला कलक्टर भरतपुर के उपरोक्त निर्णय दिनांक 05.08.2021 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2021 विधिविरुद्ध तथ्यों के विपरीत व क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि ग्राम हन्तरा तहसील नदबई निवासी रघुनाथ पुत्र हरगुन ने अपने जीवन काल में दो शादियां की थी प्रथम पत्नी सौमोती के सहवास से तुलसीराम (रैस्पोजेन्ट) पैदा हुआ था। सौमोती की मृत्यु के बाद रघुनाथ द्वारा दूसरी शादी भगवती (अपीलान्ट संख्या 3) से कर ली थी, जिसके सहवास से ज्ञानसिंह व हरीबल्लभ (अपीलान्ट संख्या 1 व 2) दो पुत्र पैदा हुए थे। अपीलान्ट संख्या 1 व 2 तथा रैस्पोजेन्ट संख्या 1 के पिता व अपीलान्ट संख्या 3 के पति रघुनाथसिंह की मृत्यु दिनांक 28.05.2012 को होने के बाद मृतक रघुनाथ सिंह की खातेदारी में दर्ज भूमि के संबंध में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 20.11.2014 को ग्राम पंचायत हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर द्वारा सर्वसम्मति से पंचायत कोरम के समक्ष वारिसान की जांच कर एवं नामान्तरकरण पर सजरा प्रमाणित कर विधिवत रूप से जायन्दा वारिसान के हक में स्वीकार किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किए गए उपरोक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध रैस्पोजेन्ट द्वारा वर्ष 2019 में यानि लगभग 2280 दिन के बाद मियाद बाहर अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष पेश की गई। इस अपील को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 221 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नदबई को नियम विरुद्ध रिमाण्ड किया गया है। जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित उपरोक्त आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कानून के विरुद्ध आरवीट्रेटरी तरीके से किया गया है, जो कि निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि रैस्पोजेन्ट की ओर से अदालत मातहत में जो अपील पेश की गई थी वह ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण के विरुद्ध पेश की गई थी तथा ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण के विरुद्ध प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.1983 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को दिये गये हैं तथा जिला कलक्टर को तहसीलदार द्वारा पारित विवादित नामान्तरकरण की ही प्रथम अपील की सुनवाई का अधिकार है। इस संबंध में अपीलान्टान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बाबत प्राथमिक आपत्ति का प्रस्तुत किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्राथमिक आपत्ति का निस्तारण किये बिना व क्षेत्राधिकार के बिन्दु के संबंध में अपीलाधीन निर्णय में कोई उल्लेख किए बिना रैस्पोजेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को नियम विरुद्ध स्वीकार किए



488
31.7.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जाने के आदेश पारित किया है। वकील अपीलान्त ने इस संबंध में आर.आर.डी. 2013 पेज 32, आर.आर.डी 2013 पेज 117 व आर.आर.डी 1996 पेज 454 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश की अपील उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही सुनी जाएगी। यदि जिला कलक्टर द्वारा इस तरह की कोई अपील सुनी जाकर कोई आदेश पारित किया गया है तो इस तरह का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर माना गया है। वकील अपीलान्त ने यह भी तर्क दिया कि तहत अदालत में रैस्पोडेन्ट की ओर से 2280 दिन के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत मियाद बाहर अपील को भी बिना मियाद का बिन्दु तय किए निर्णित किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में लगभग 2280 दिन के पश्चात असाधारण देरी से अपील प्रस्तुत की गई थी जबकि रैस्पोडेन्ट तुलसीराम को उक्त नामान्तरकरण के दर्ज होने की पूर्व से ही पूर्णतया जानकारी थी क्योंकि रैस्पोडेन्ट तुलसीराम स्वयं राजस्व विभाग में पटवारी है, जिसे राजस्व रिकार्ड व इन्द्राजातों का पूर्ण ज्ञान है तथा उसकी सहमति से ही ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किया गया था। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध रैस्पोडेन्ट तुलसीराम द्वारा 2280 दिनों तक कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही अपील पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में कोई स्पष्ट कारण अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र में बताया। वरन् पटवारी हल्का से उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने का उल्लेख किया है, जो कि अपील को अन्दर मियाद माने जाने व अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु पर्याप्त व उचित आधार नहीं हो सकता है। रैस्पोडेन्ट तुलसीराम द्वारा अदालत मातहत में अपील के साथ संलग्न फार्म नम्बर 3 में दर्ज दस्तावेजात नामान्तरकरण एवं हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं, जिनमें जमाबन्दी की दिनांक 16.10.2018, 14.12.2018, 02.01.2019 को प्रतियां प्राप्त होने की पुष्टि होती हैं। मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत की गई जमाबन्दियों के अवलोकन से भी यह स्पष्ट दर्शित है कि तुलसीराम रैस्पोडेन्ट को उक्त राजस्व इन्द्राजात नामान्तरकरण की जानकारी अपील में दर्ज जानकारी की दिनांक से पूर्व ही हो चुकी थी फिर भी गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद लाने का अवैधानिक कृत्य किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर-अंदाज करने में कानूनी भूल की गई है। ऐसी गलती को क्षम्य नहीं किया जा सकता है। अतः रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर भी खारिज किए जाने योग्य थी, परन्तु अदालत मातहत ने इसके संबंध में भी अपीलाधीन निर्णय में उचित रूप से विवेचन नहीं किया। वकील अपीलान्त ने मियाद के बिन्दुओं के संबंध में 2017 आर.आर.टी पेज 117 (एससी) 2016-17, आर.आर.टी (सुप) पेज 158, आर.आर.डी 1990 पेज 545 व आर.आर.डी 2013 पेज 788 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि उक्त नजीरों में स्पष्ट रूप से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपील पेश करने में हुए असाधारण विलम्ब जो कि मुवकिल की निष्क्रियता और सुस्ती के कारण से हुआ है, के संबंध में उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। अन्यथा मियाद कानून को निरर्थक और फालतू



43
31.7.2013
संभागीय आयुक्त
भारतपुर संभाग, मध्य प्रदेश

बना देगा। विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं होने पर अपील को मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार अपील को पेश करने में हुए विलम्ब के प्रत्येक दिन का उचित व पर्याप्त स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसके अभाव में अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज किए जाने योग्य है। इसी प्रकार दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी के संबंध में जो स्रोत बताया गया है उसके संबंध में संबंधित व्यक्ति का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में रैस्पोजेन्ट द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील में ग्राम पंचायत की ओर से तस्दीक किए गए नामान्तरण की जानकारी पटवारी हल्का की ओर से दिए जाने का बताया गया है, परन्तु इसके समर्थन में पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार सहमति के आधार पर पारित निर्णय के संबंध में झूठे या असत्य तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील भी मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किए जाने का सिद्धान्त उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित किया गया है। अतः रैस्पोजेन्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील मियाद के आधार पर भी मेन्टेनेबल नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्दर मियाद मानने में कानूनी भूल की है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय में यह गलत माना है कि रघुनाथ सिंह की दो पत्नियां सौमोती व भगवती रही हैं तथा तुलसीराम की ओर से प्रस्तुत मीमो आफ अपील में दर्ज तथ्य कि भगवती अपीलान्ट की सौतेली मां है। जबकि ग्राम पंचायत की ओर से नामान्तरण तस्दीक किए जाने से पूर्व तैयार किए गए सजरा में यह स्पष्ट दर्शित किया गया है कि सौमोती से तुलसीराम का जन्म एवं भगवती से ज्ञानसिंह व हरीबल्लभ का जन्म हुआ है। इसके अलावा स्वयं तुलसीराम रैस्पोजेन्ट की अपील में दर्ज स्वीकारोक्ति व अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 में यह उल्लेख करना कि "रघुनाथ सिंह की दो पत्नियां सौमोती व भगवती रही हैं" इसके बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है क्योंकि तुलसीराम रैस्पोजेन्ट का यह दायित्व था कि वह दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करता कि भगवती, ज्ञानसिंह, हरीबल्लभ (अपीलान्टस) रघुनाथ सिंह के वैद्य वारिसान नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने तुलसीराम के भार को अपीलान्टान ज्ञानसिंह आदि पर डालकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जबकि उक्त तथ्य को साबित करने का भार उस पक्षकार के ऊपर होता है जो दस्तावेजात/निर्णय में दर्ज तथ्यों से इन्कार कर रहा हो इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय काबिले मंसूखी है। तहत अदालत द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाई गई आपत्तियों की बाबत कोई जांच नहीं की गई। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उभयपक्षों को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर कोर्ट के समक्ष सर्वसम्मति से मृतक रघुनाथ का सजरा नामान्तरण पर अंकित करवाकर नामान्तरण संख्या 221 दिनांक 20.11.2014 को पारित किया गया है। तहत अदालत में रैस्पोजेन्ट तुलसीराम द्वारा इस तथ्य को छुपाया गया है कि तुलसीराम रैस्पोजेन्ट द्वारा अपने अधिकारों के निर्धारण बाबत एक नियमित वाद अंतर्गत धारा 88,



५८६
३१.१.२०१३
संभागीय आयुक्त
भारतपुर संभाग, भरतपुर

89 व 188 आर टी एक्ट के तहत सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष पेश किया हुआ है। इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्तान ज्ञानसिंह आदि द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 80(3) एल आर एक्ट के तहत प्रस्तुत कर नियमित वाद की प्रति प्रस्तुत की गई थी परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जबकि अपील में प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये जाने के बाद ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता था। इस संबंध में वकील अपीलान्त ने आर.आर.डी. 2013 पेज 707 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय को उनके समक्ष अपील में प्रस्तुत हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के बाद ही अपील के संबंध में अंतिम निर्णय पारित करना चाहिए, परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलान्त की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्राथमिक एतराज के आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि नियम विरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। इसी प्रकार नामान्तरकरण जैसी फिसिकल प्रोसिडिंग्स में अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। वरन् नियमित वाद के द्वारा ही तुलसीराम रैस्पोडेन्ट के अधिकारों के बाबत निर्णय किया जा सकता है। इस संबंध में वकील अपीलान्त द्वारा 2019 आर.आर.टी 593 (एससी) 2016-17 आर.आर.टी (सुप) पेज 219 व आर.आर.डी 2005 पेज 85 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए उल्लेख किया कि नामान्तरकरण भूमि पर स्वत्व का सृजन अथवा समाप्त नहीं करता। वरन् भू-राजस्व भुगतान करने का जिस व्यक्ति के पक्ष में आदेश दिया गया है, वह नामान्तरकरण के जरिये समर्थ बनाता है। विवादित भूमि से संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने पर नामान्तरकरण की अपील में जांच किया जाना उचित नहीं है। वसीयत, उपहार व उत्तराधिकार संबंधी मामले नामान्तरकरण संबंधी प्रक्रिया में निर्णित नहीं किया जाकर सक्षम न्यायालय में लम्बित वाद में निर्णित किए जा सकते हैं। वाद विचाराधीन होने के दौरान नामान्तरकरण संबंधी प्रक्रिया में जांच संबंधी आदेश दिया जाना उचित नहीं है। इसी प्रकार नामान्तरकरण की कार्यवाही एक वित्तीय कार्यवाही है, जिससे कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके लिए पक्षकार संबंधित न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। उक्त प्रकरण में भी रैस्पोडेन्ट द्वारा सहायक कलक्टर के न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया था। इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपील को गलत रूप से स्वीकार किया है। वकील अपीलान्त ने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में तुलसीराम रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलान्त ज्ञानसिंह को मन्दबुद्धि बताया गया है, परन्तु ज्ञानसिंह पूर्णतया वयस्क एवं स्वस्थ व्यक्ति है किसी प्रकार से कोई मन्दबुद्धि नहीं है। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट तुलसीराम द्वारा अपने उक्त कथन को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत में प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही सी.पी.सी के आदेश 32 नियम 15 के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। वकील अपीलान्त ने उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.8.2021 को निरस्त



43
संभागीय आयुक्त
भारतपुर संभाग, मेरठ

करने व ग्राम पंचायत हन्तरा की ओर से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 221/20.11.2014 ग्राम पंचायत हन्तरा तहसील नदबई को यथावत रखने के आदेश पारित किए जावें।

वकील अपीलान्त द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोजेन्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.8.2021 उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अदालत मातहत में प्रस्तुत हुए रिकार्ड व दस्तावेज का पूर्ण अवलोकन तथा परीक्षण करने के बाद पारित किया गया है, जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्त की ओर से गलत तथ्यों पर अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अदालत मातहत की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 में किसी भी पक्ष के हक-हकूक तय नहीं किए जाकर रैस्पोजेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को गुणावगुण के आधार पर स्वीकार कर ग्राम पंचायत हन्तरा की ओर से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 20.11.2014 को खारिज कर प्रकरण तहसीलदार नदबई को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वे निर्णय में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सबूतों का अवसर देते हुए विधिवत जांच एवं सुनवाई कर पुनः नामान्तरकरण निर्णित करें। अर्थात् अपीलान्त तहसीलदार नदबई के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यह प्रकरण केवल और केवल विरासतन नामान्तरकरण के संदर्भ में है। इस प्रकरण में केवल विरासतन आधार पर ही बिन्दु तय किये जाने हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही के अंतर्गत सिविल न्यायालय के बिन्दु तय नहीं किये जा सकते। अपीलान्त ने इस अपील में अपने आपको मृतक खातेदार रघुनाथसिंह के वारिस होने का दावा किया है तथा अपनी मां भगवती को रघुनाथसिंह की पत्नी होना बताते हैं इस तरह की अनर्गल बातें बिना साक्ष्य सबूत के कोई मायने नहीं रखती है। यह ऐसे जटिल बिन्दु हैं जिनको केवल नियमित वाद से ही विलीयर किया जा सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है इसमें अधिकार स्वत्व हक-हकूक या किसी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। यहां केवल मृतक खातेदार रघुनाथसिंह के एक मात्र जीवित वारिस रैस्पोजेन्ट तुलसीराम के नाम विरासतन दाखिल खारिज भरा जाना था किन्तु ग्राम पंचायत हन्तरा पंचायत समिति नदबई द्वारा मनमाने तरीके से खातेदार स्व० रघुनाथ सिंह की मृत्योपरान्त उसके विरासतन नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 20.11.2014 रैस्पोजेन्ट तुलसीराम के साथ-साथ अपीलान्तस ज्ञानसिंह, हरबल्लभ व भगवती के हक में भी स्वीकृत कर किया गया था। जबकि अपीलान्त को रैस्पोजेन्ट के पिता रघुनाथसिंह की विरासत से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जब अपीलान्त संख्या 3 भगवती ने रैस्पोजेन्ट के पिता से वैद्य विवाह ही नहीं किया तो भगवती के बच्चे अपीलान्त संख्या 1 व 2 रैस्पोजेन्ट के पिता की सन्तान कैसे हो सकती है ? अपीलान्त संख्या 1 व 2 अधर्मज सन्तानें हैं इसलिए मृतक रघुनाथ की विरासत में इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। पूर्व में भी अपीलान्तस के द्वारा इस बाबत एक दावा 24/09 उनवान ज्ञानसिंह बनाम रघुनाथ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष प्रस्तुत



31. 10. 2023
संभागीय आयुक्त
भारतपुर संभाग, मध्य प्रदेश

किया था जो दिनांक 8.10.2012 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया इस कारण अब अपीलान्टस पर एस्टोपल का सिद्धान्त भी लागू होता है इसलिए अपील खारिज योग्य रहती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज आराजी पैतृक आराजी है। रघुनाथसिंह की स्वअर्जित आराजी नहीं है। पैतृक आराजी होने के कारण भगवती व उसकी अधर्मज सन्तान ज्ञानसिंह व हरीवल्लभ को पैतृक आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि रैस्पोजेन्ट तुलसीराम, सौमोती का पुत्र है और सौमोती मृतक रघुनाथ की वैध पत्नी थी इसलिए रघुनाथ की विरासत का न्यारानूर एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी रैस्पोजेन्ट तुलसीराम ही है। उक्त तमाम वास्तविक तथ्यों के रिकार्ड पर मौजूद होने के परिणामस्वरूप ही तहत अदालत ने ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध खोला गया नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 20.11.2014 को निरस्त करते हुये प्रकरण को विधिक वारिसान की जांच कर पुनः विरासतन नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार नदबई को रिमाण्ड किया गया है जो न्यायिक निर्णय है। अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटी नहीं है। परीक्षण न्यायालय का यह दायित्व है कि वो इस संबंध में साक्ष्य सबूतों के आधार पर विरासत तय करें और इसीलिए तहत अदालत द्वारा परीक्षण न्यायालय को प्रकरण वास्ते जांच रिमाण्ड किया गया है। ग्राम पंचायत की ओर से नामान्तरकरण स्वीकृत किए जाने से पूर्व न तो मृतक रघुनाथ के वारिसान के संबंध में किसी प्रकार की कोई विधिवत जांच ही की गई और न ही कोई बयान आदि ही लिए गए। ग्राम पंचायत की ओर से अपीलान्ट के हक में नियम विरुद्ध विरासत का नामान्तरकरण खोला गया था, क्योंकि अपीलान्ट संख्या 3 भगवती न तो रैस्पोजेन्ट के पिता रघुनाथ की वैध पत्नी थी और न ही अपीलान्ट संख्या 1 व 2 वैध संताने थी। हिन्दु विवाह अधिनियम में किसी भी पुरुष को केवल एक शादी करने का ही अधिकार है। यदि एक से अधिक शादी होती है तो ऐसी शादी अवैध शादी मानी जाती है तथा इस तरह की शादी से उत्पन्न हुए बच्चों को अधर्मी सन्तान माना जाता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 16 (3) में इस तरह की संतान को पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। चूंकि अपीलान्ट मृतक रघुनाथ के विधिक वारिस नहीं हैं। इसलिए इनके पक्ष में पैतृक सम्पत्ति के विरासत का नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता था। ग्राम पंचायत द्वारा खोले गए नामान्तरकरण की जानकारी रैस्पोजेन्ट को तत्समय नहीं होने के कारण अपील पेश नहीं की जा सकी थी तथा अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था। जिसमें जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं है। वकील रैस्पोजेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि अवैध व शून्य प्रभाव लिए हुए आदेश पर किसी तरह का कोई मियाद संबंधी बिन्दु लागू नहीं होती है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित



५६९
21. 2. 2013
संभागीय आयुक्त
भारतपुर संभाग, भारतपुर

किए गए हैं कि यदि अपील मैरिट के आधार पर मेन्टनेवल है तो मियाद संबंधी विन्दु पर अपील को खारिज किए जाने से बचा जाना चाहिए। इस संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 व आर.आर.डी 2013 पेज 266 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीरों में 45 वर्ष तक के विलम्ब को कंडोन किए जाने को उचित माना गया है। जबकि उक्त प्रकरण में तो मात्र 2280 दिन का विलम्ब बताया गया है। इसके अलावा अपीलीय न्यायालय का यह स्वविवेक है कि अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जा सकता है। इस निर्णय पर द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः विचारण किया जाना उचित नहीं है। विद्वान जिला कलक्टर ने प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के बाद विस्तृत व स्पीकिंग आदेश पारित किया है। जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। जिला कलक्टर को ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत किए गए नामान्तकरण के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तर्क दिया गया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर को उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्राधिकार में सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है। उक्त अधिनियम के नियम 75 (1) के तहत तहसीलदार की ओर से पारित आदेश की प्रथम अपील जिला कलक्टर को किए जाने का प्रावधान है तथा ग्राम पंचायत को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 260 के तहत तहसीलदार के अधिकार दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर की अधिकारिता को इस आधार पर बाधित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा भी ग्राम पंचायत को केवल 45 दिन तक ही नामान्तकरण तस्दीक करने का ही अधिकार है। इसके बाद नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया जाता है। इसलिए यह मानना कि ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण की अपील जिला कलक्टर को नहीं की जा सकती है, उचित नहीं है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी को उक्त अधिनियम में भू-अभिलेखाधिकारी, जिला कलक्टर को जिला भू-अभिलेखाधिकारी परिभाषित किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर जिला भू-अभिलेखाधिकारी के रूप में नामान्तकरण के विरुद्ध अपील सुनने हेतु सक्षम है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्तियों को निस्तारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः वकील अपीलान्त का यह तर्क कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को निस्तारित नहीं किया गया, सारहीन हो जाता है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार नदबई को उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सबूत का अवसर देने व विधिवत जांच तथा सुनवाई के पश्चात नामान्तकरण निर्णित करने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं। रैस्पोडेन्ट के राजस्व कर्मचारी होने के आधार पर उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। रैस्पोडेन्ट द्वारा नियमों के तहत जिला कलक्टर कार्यालय में अपील पेश की गई है तथा अपील को पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसको स्वीकार करते हुए विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि उचित



63
21.7.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है। इसके अलावा विरासत के नामान्तरण को पूर्ण जांच के बाद तस्दीक किया जाना आवश्यक है, जो कि राजस्व अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्रकरण तहसीलदार नदवई को रिमाण्ड किए जाने में कोई अनियमितता नहीं बरती गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2021 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोजेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तथा बहस में संदर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2021 के विरुद्ध अदालत हाजा में जो अपील पेश की गई है। उक्त अपील में अपीलाधीन निर्णय मियाद बाहर प्रस्तुत की गई अपील को स्वीकार करने, ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरण की प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को होने व इस संबंध में अदालत मातहत में प्राथमिक आपत्ति किए जाने के बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किए जाने व ग्राम पंचायत की ओर से अपीलान्टस के पक्ष में किया गया नामान्तरण पूर्ण जांच के बाद किए जाने का उल्लेख करते हुए अपील स्वीकार किए जाने तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 को निरस्त कर नामान्तरण संख्या 221 दिनांक 20.11.2014 को यथावत रखे जाने की इस्तदुआ की गई है। अदालत मातहत की अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रैस्पोजेन्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में जो अपील पेश की गई थी। उसमें अपीलान्ट को रैस्पोजेन्ट के रूप में पक्षकार बनाया गया था। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में बतौर रैस्पोजेन्ट प्राथमिक एतराज दिनांक 27.01.2021 व लिखित बहस दिनांक 29.05.2021 में ग्राम पंचायत की ओर से पारित निर्णय नामान्तरण की अपील 2280 दिन के असाधारण विलम्ब से पेश किए जाने, ग्राम पंचायत की ओर से पारित नामान्तरण की अपील उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में मेन्टनेबल होने तथा नामान्तरण में दर्ज आराजियात से संबंधित रेगुलर दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति में नामान्तरण को निरस्त नहीं किए जा सकने का उल्लेख किया गया। विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 में मियाद के संबंध में यह अभिमत व्यक्त करते हुए कि अपील में यदि कानूनी बिन्दु महत्वपूर्ण हो और उसमें सार प्रतीत होता हो कि मियाद के बिन्दु को गौण कर देना चाहिए तथा मियाद के बिन्दु पर अदालत को कठोर निर्णय नहीं लेने चाहिए। इस संबंध में अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील के रैस्पोजेन्ट की अपील को अन्दर मियाद ?शुमार किए जाने का आदेश दिया है। उक्त अभिमत अपीलीय न्यायालय के स्तर पर हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से उक्त प्रकरण की बहस में मियाद के संबंध में वर्णित नजीरों यथा 2017 आर.आर.टी पेज 117 (एससी) 2016-17 आर.आर.टी (सुप) पेज 158, 1990 आर.आर.डी. पेज 545,



30/1/2021
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

2013 आर.आर.डी पेज 788 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा मियाद के संबंध में स्वविवेक का उपयोग कर रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद माने जाने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर पुनः विचार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत किए गए जवाब में वर्णित दो आपत्तियों जिसमें राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.1983 के अनुसार ग्राम पंचायत की ओर से पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी को किए जाने का प्रावधान होने के कारण रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर न्यायालय को नहीं होने व नामांतरण में वर्णित आराजीयात के संबंध में दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो दावों के विचाराधीन रहते हुए नामांतरण को निरस्त नहीं किए जा सकने के संबंध में अपीलाधीन निर्णय में किसी तरह का कोई विवेचन नहीं किया गया और न ही कोई अभिमत दिया गया। विद्वान जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायत की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार करते हुए रैस्पोडेन्ट की ओर से पारित अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत हंतरा की ओर से स्वीकृत नामांतरण संख्या 221 दिनांक 20.11.2014 को खारिज कर प्रकरण तहसीलदार नदबई को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि वे उपरोक्त बिन्दु के आधार पर दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सबूतों का अवसर देते हुए विधिवत जांच एवं सुनवाई कर पुनः नामांतरण निर्णित करें। विद्वान जिला कलक्टर को अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत की गई प्राथमिक आपत्ति का समुचित निर्णय करना चाहिए था, जिसका की अपीलाधीन निर्णय में अभाव है। इस संबंध में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2013 आर.आर.डी पेज 32 के पैरा संख्या 14 के अनुसार माह सितम्बर 1982 के पश्चात धारा 135 (1) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामांतरण की अपील जिला कलक्टर के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी के द्वारा सुनी जाने का प्रावधान किए जाने के कारण जिला कलक्टर की ओर से ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण में सुनी गई प्रथम अपील को क्षेत्राधिकार के बाहर माना गया है। इसी प्रकार आर.आर.डी 1996 पेज 454 पर उद्धरित निर्णय के बिन्दु संख्या 6 (3) में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत की ओर से पारित नामांतरण के विरुद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेगी। उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 05.08.2021 उचित नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर जिनमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दावे के विचाराधीन रहने के दौरान नामांतरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है तथा इस तर्क के समर्थन में आर.आर.टी 2019 पेज 593 (एससी), 2016-17 आर.आर.टी (सुप) पेज 219 व आर.आर.डी 2005 पेज 85 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार नामांतरण भूमि पर स्वत्व का सृजन अथवा समाप्त



59
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाव्य, भरतपुर

नहीं करता न स्पष्ट पर यह उपधारणात्मक मूल्य रखता है - भू राजस्व का भुगतान करने का जिस व्यक्ति के पक्ष में आदेश दिया नामांतरण समर्थ बनाता है। प्रश्नगत भूमि से संबंधित सिविल वाद यदि पक्षकारों के मध्य लम्बित है तो अपील में जांच करने को उचित नहीं माना गया। इसी प्रकार के सिद्धान्त अन्य दो नजीरों में भी प्रतिपादित किए गए हैं। विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर ने उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के संबंध में बिना कोई अभिमत व्यक्त किए ग्राम पंचायत की ओर से तस्दीक किए गए नामांतरण के गुणावगुण पर विचार करते हुए अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार नदबई को प्रतिप्रेषित किया है। जबकि अदालत मातहत में रैस्पोजेन्ट की ओर से विवादित भूमि के संबंधित में सहायक कलक्टर नदबई के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के संबंध में दस्तावेजात की प्रति प्रस्तुत कर प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। इस प्राथमिक आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कि वकील अपीलान्त की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2017 आर.आर.डी पेज 707 पर उद्धरित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उचित प्रतीत नहीं होता है। वकील रैस्पोजेन्ट द्वारा भी बहस में विवादित भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने का स्वीकार किया है, परन्तु ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत किए गए विरासत के नामांतरण को बिना जांच तस्दीक किए जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 को न्यायोचित बताते हुए उल्लेख किया है कि अपीलाधीन निर्णय के द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर ने प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार नदबई को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे निर्णय में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सबूतों का अवसर देते हुए विधिवत जांच व सुनवाई कर पुनः नामांतरण का निर्णय पारित करें। अपीलान्त तहसीलदार नदबई के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं। परन्तु ग्राम पंचायत की ओर से पारित निर्णय के विरुद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी के स्थान पर जिला कलक्टर न्यायालय में मेन्टनेबल नहीं होने तथा विभिन्न वाद विचाराधीन होने की स्थिति में नामांतरण को खारिज नहीं किए जा सकने के संबंध में जो तर्क दिए गए हैं, वे तर्क इसलिए मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि ग्राम पंचायत की ओर से पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील पेश किए जाने की शक्ति उपखण्ड अधिकारी को राज्य सरकार की ओर से जारी विधिवत अधिसूचना के तहत दी गई है। ऐसी स्थिति में यह मानना की ग्राम पंचायत द्वारा भूअभिलेख अधिकारी की हैसियत से नामांतरण तस्दीक किए जाने के कारण इसकी अपील जिला कलक्टर को की जा सकती है, उचित नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.1982 के अनुसार ग्राम पंचायत को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (1) के तहत भरे गए नामांतरण जो कि अविवादित है, को तस्दीक करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। ग्राम पंचायत की ओर से उक्त शक्तियां सहायक भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से उपयोग में लाई जाती हैं। ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत नामांतरण की प्रथम अपील भी राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.1983 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी को की जा सकती है। इस आधार पर जिला कलक्टर द्वारा ग्राम



५९
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पंचायत की ओर से स्वीकृत किए गए नामांतरण की अपील सुने जाने की क्षेत्राधिकारिता नहीं होने के बावजूद भी प्रथम अपील सुनी गई है, जो कि वकील अपीलान्त की ओर से बहस में वर्णित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। इसी तरह विद्वान वकील रैस्पोजेन्ट ने भी अपनी बहस में यह माना है कि विवादित भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं। वाद विचाराधीन होने की स्थिति में नामांतरण के संबंध में निर्णय किए जाने से बचा जाना चाहिए। इस तरह का सिद्धान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.टी 2019 (1) पेज 593 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित किया गया है। जिसके अनुसार नामांतरण भूमि पर स्वत्व का सृजन अथवा समाप्त नहीं करता न स्पष्ट पर यह उपधारणात्मक मूल्य रखता है – भूराजस्व भुगतान करने का जिस व्यक्ति के पक्ष में आदेश दिया नामांतरण समर्थ बनाता है – प्रश्नगत भूमि से संबंधित सिविल वाद भी पक्षकारों के बीच लम्बित है तो अपील में जांच करना उचित नहीं है। इसी प्रकार 2016-17 आर.आर.टी (सुप) पेज 219 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार नामांतरण की कार्यवाही एक वित्तीय कार्यवाही है, जिससे कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। आर.आर.डी 2005 पेज 85 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि नामांतरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग है। जिसमें यह तय किया जाता है कि विवादित भूमि का लगान किस से लिया जाए। नामांतरण की कार्यवाही में वसीयत, गोद व उत्तराधिकार के जटिल विवादक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। इसके लिए पक्षकारों को अपने हक व स्वामित्व को स्थापित करने के लिए उचित संस्थान में घोषणा का दावा करना चाहिए। उपरोक्त प्रकरण में भी विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन है। जिसमें विस्तृत विचारण के वाद अधिकारों की घोषणा हो जाएगी। वाद के लम्बित रहते हुए ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किए गए नामांतरण को निरस्त किए जाना व पुनः जांच हेतु भिजवाया जाना उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2021 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज लिखाया जाकर दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल्ल घमा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

